

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक प0 11(12)मं.मं/2011

जयपुर, दिनांक 23-11-11

आज्ञा

श्री नारायण सिंह, अध्यक्ष, राजस्थान किसान आयोग, जयपुर को मंत्री स्तर का दर्जा दिये जाने की राज्यपाल महोदय की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

श्री नारायण सिंह को मंत्री स्तर के रूप में इस सचिवालय की आज्ञा संख्या प. 11(1)मंमं/99 दिनांक 30.7.2010 के अनुसार सुविधायें प्रदत्त होंगी। यह सुविधायें श्री नारायण सिंह को कार्यग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए देय होंगी।

अध्यक्ष, राजस्थान किसान आयोग, जयपुर को प्रदत्त सुविधाओं पर होने वाला समस्त व्यय कृषि विभाग द्वारा वहन किया जायेगा।

आज्ञा से,


(डॉ० अरुण पी० जैन)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री।
2. अध्यक्ष, राजस्थान किसान आयोग, जयपुर।
3. समस्त अति० मुख्य सचिव
4. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
5. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान।
6. समस्त अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, निगम/बोर्ड
7. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर।
9. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
10. वि० सहायक/निजी सचिव, माननीय मंत्रिगण/राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिवगण
11. निजी सचिव, मुख्य सचिव
12. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग।
13. मुख्य लेखाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
14. नियंत्रक, स्टेट मोटर गौराज, जयपुर।
15. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को विशेषांक में प्रकाशनार्थ।

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को पृथक से प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. रजिस्टार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
4. निबंधक, राजस्व मण्डल/कर बोर्ड, अजमेर।

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक प0 11(12)मं.मं/2011

जयपुर, दिनांक 23-11-11

आज्ञा

श्री रणदीप धनकड़, अध्यक्ष, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, जयपुर को राज्य मंत्री स्तर का दर्जा दिये जाने की राज्यपाल महोदय की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

श्री रणदीप धनकड़ को राज्यमंत्री स्तर के रूप में इरा राचिवालय की आज्ञा संख्या प0 11(1)मंमं/99 दिनांक 30.7.2010 के अनुसार सुविधायें प्रदत्त होंगी। यह सुविधायें श्री रणदीप धनकड़ को कार्यग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए देय होंगी ।

अध्यक्ष, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, जयपुर को प्रदत्त सुविधाओं पर होने वाला समस्त व्यय पर्यटन विभाग द्वारा वहन किया जायेगा ।

आज्ञा से,


(डॉ० अरुण सिंह)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि प्रमुख शासन सचिव, पर्यटन विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री ।
2. अध्यक्ष, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, जयपुर।
3. समस्त अति० मुख्य सचिव
4. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
5. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान ।
6. समस्त अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, निगम/बोर्ड
7. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर ।
8. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर।
9. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान ।
10. वि०सहायक/निजी सचिव, माननीय मंत्रिगण/राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिवगण
11. निजी सचिव, मुख्य सचिव
12. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग।
13. मुख्य लेखाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर ।
14. नियंत्रक, स्टेट मोटर गैराज, जयपुर ।
15. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को विशेषांक में प्रकाशनार्थ ।

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को पृथक से प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर ।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
3. रजिस्टार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर ।
4. निबंधक, राजस्थान मण्डल/कर बोर्ड, अजमेर ।

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक प0 11(12)मं.मं/2011

जयपुर, दिनांक 23-11-11

आज्ञा

सुश्री लाड कुमारी जैन, अध्यक्ष, राजस्थान राज्य महिला आयोग, जयपुर को राज्य मंत्री स्तर का दर्जा दिये जाने की राज्यपाल महोदय की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

सुश्री लाड कुमारी जैन को राज्यमंत्री स्तर के रूप में इस सचिवालय की आज्ञा संख्या प0 11(1)मं.मं/99 दिनांक 30.7.2010 के अनुसार सुविधायें प्रदत्त होंगी। यह सुविधायें सुश्री लाड कुमारी जैन को कार्यग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए देय होंगी।

अध्यक्ष, राजस्थान राज्य महिला आयोग, जयपुर को प्रदत्त सुविधाओं पर होने वाला समस्त व्यय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा वहन किया जायेगा।

आज्ञा से,


(डॉ० आरुणकुमार जैन)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि प्रमुख शारान सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री।
2. अध्यक्ष, राजस्थान राज्य महिला आयोग, जयपुर।
3. समस्त अति० मुख्य सचिव
4. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
5. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान।
6. समस्त अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, निगम/बोर्ड
7. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर।
9. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
10. वि०सहायक/निजी सचिव, माननीय मंत्रिगण/राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिवगण
11. निजी सचिव, मुख्य सचिव
12. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग।
13. मुख्य लेखाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
14. नियंत्रक, स्टेट मोटर गैराज, जयपुर।
15. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को विशेषांक में प्रकाशनार्थ।


शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को पृथक से प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. रजिस्टार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
4. निबंधक, राजस्थान मण्डल/कर बोर्ड, अजमेर।


शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक प0 11(12)मं.मं/2011

जयपुर, दिनांक 23-11-11

आज्ञा

श्री मुमताज मसीह, अध्यक्ष, राजस्थान जन अभाव अभियोग निराकरण समिति, जयपुर को राज्य मंत्री स्तर का दर्जा दिये जाने की राज्यपाल महोदय की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

श्री मुमताज मसीह को राज्यमंत्री स्तर के रूप में इस सचिवालय की आज्ञा संख्या प0 11(1)मंमं/99 दिनांक 30.7.2010 के अनुसार सुविधायें प्रदत्त होंगी। यह सुविधायें श्री मसीह को कार्यग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष अथवा अग्रिम आदेश जो भी पूर्व हो तक की अवधि के लिए देय होंगी ।

अध्यक्ष, राजस्थान जन अभाव अभियोग निराकरण समिति, जयपुर को प्रदत्त सुविधाओं पर होने वाला समस्त व्यय जन अभियोग निराकरण विभाग (प्रशासनिक विभाग) द्वारा वहन किया जायेगा ।

आज्ञा से,


(डॉ० अनुराग जैन)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि प्रमुख शासन सचिव, जन अभियोग निराकरण विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- प्रमुख सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री ।
- 2- अध्यक्ष, राजस्थान जन अभाव अभियोग निराकरण समिति, जयपुर
- 3- समस्त अति० मुख्य सचिव
- 4- समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
- 5- मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान ।
- 6- समस्त अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, निगम/बोर्ड
- 7- प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर ।
- 8- समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर।
- 9- समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान ।
- 10- वि०सहायक/निजी सचिव, माननीय मंत्रिमण्डल/राज्यमंत्रीमण्डल/संसदीय सचिवमण्डल
- 11- निजी सचिव, मुख्य सचिव
- 12- आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग।
- 13- मुख्य लेखाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर ।
- 14- नियंत्रक, स्टेट मोटर गैराज, जयपुर ।
- 15- अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को विशेषांक में प्रकाशनार्थ ;

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को पृथक से प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर ।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
3. रजिस्टार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर ।
4. निबंधक, राजस्व मण्डल/कर बोर्ड, अजमेर ।

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक प0 11(12)मं.मं/2011

जयपुर, दिनांक 23-11-11

आज्ञा

श्री अनिल पारीक, अध्यक्ष, राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर को राज्य मंत्री स्तर का दर्जा दिये जाने की राज्यपाल महोदय की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

श्री अनिल पारीक को राज्यमंत्री स्तर के रूप में इस सचिवालय की आज्ञा संख्या प0 11(1)मं.मं/99 दिनांक 30.7.2010 के अनुसार सुविधायें प्रदत्त होंगी। यह सुविधायें श्री पारीक को कार्यग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए देय होंगी ।

अध्यक्ष, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर को प्रदत्त सुविधाओं पर होने वाला समस्त व्यय उद्योग विभाग द्वारा वहन किया जायेगा ।

आज्ञा से,


(डॉ० आर०पी०जैन)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि प्रमुख शासन सचिव, उद्योग विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री ।
2. अध्यक्ष, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर ।
3. समस्त अति० मुख्य सचिव
4. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव ।
5. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान ।
6. समस्त अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, निगम/बोर्ड
7. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर ।
8. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर ।
9. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान ।
10. वि०सहायक/निजी सचिव, माननीय मंत्रिगण/राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिवगण
11. निजी सचिव, मुख्य सचिव
12. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग ।
13. मुख्य लेखाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर ।
14. नियंत्रक, स्टेट मोटर गैराज, जयपुर ।
15. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को विशेषांक में प्रकाशनार्थ ।

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को पृथक से प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर ।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
3. रजिस्टार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर ।
4. निबंधक, राजस्व मण्डल/कर बोर्ड, अजमेर ।

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक प0 11(12)मं.मं/2011

जयपुर, दिनांक 23-11-11

आज्ञा

श्री माहिर आजाद, अध्यक्ष, राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग, जयपुर को राज्य मंत्री स्तर का दर्जा दिये जाने की राज्यपाल महोदय की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

श्री माहिर आजाद को राज्यमंत्री स्तर के रूप में इस सचिवालय की आज्ञा संख्या प0 11(1)मं.मं/99 दिनांक 30.7.2010 के अनुसार सुविधायें प्रदत्त होंगी। यह सुविधायें श्री माहिर आजाद को कार्यग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए देय होंगी ।

अध्यक्ष, राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग, जयपुर को प्रदत्त सुविधाओं पर होने वाला समस्त व्यय अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा वहन किया जायेगा ।

आज्ञा से,


(डॉ० अरुणपी० जैन)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री ।
2. अध्यक्ष, राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग, जयपुर।
3. समस्त अति० मुख्य सचिव
4. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
5. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान ।
6. समस्त अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, निगम/बोर्ड
7. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर ।
8. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर।
9. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान ।
10. वि०सहायक/निजी सचिव, माननीय मंत्रिगण/राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिवगण
11. निजी सचिव, मुख्य सचिव
12. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग।
13. मुख्य लेखाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर ।
14. नियंत्रक, स्टेट मोटर गैराज, जयपुर ।
15. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को विशेषांक में प्रकाशनार्थ ।


शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को पृथक से प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर ।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
3. रजिस्टार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर ।
4. निबंधक, राजस्व मण्डल/कर बोर्ड, अजमेर ।


शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक प0 11(12)मं.मं/2011

जयपुर, दिनांक 23-11-11


आज्ञा

श्री मौलाना फजले हक अध्यक्ष, राजस्थान राज्य मदरसा बोर्ड, जयपुर को राज्य मंत्री स्तर का दर्जा दिये जाने की राज्यपाल महोदय की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

श्री मौलाना फजले हक को राज्यमंत्री स्तर के रूप में इस सचिवालय की आज्ञा संख्या प0 11(1)मंमं/99 दिनांक 30.7.2010 के अनुसार सुविधायें प्रदत्त होंगी। यह सुविधायें श्री मौलाना फजले हक को कार्यग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए देय होंगी ।

अध्यक्ष, राजस्थान राज्य मदरसा बोर्ड जयपुर को प्रदत्त सुविधाओं पर होने वाला समस्त व्यय अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा वहन किया जायेगा ।

आज्ञा से,


(डॉ० आर० पी० जैन)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री ।
2. अध्यक्ष, राजस्थान राज्य मदरसा बोर्ड, जयपुर ।
3. समस्त अति० मुख्य सचिव
4. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव ।
5. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान ।
6. समस्त अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, निगम/बोर्ड
7. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर ।
8. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर ।
9. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान ।
10. वि०सहायक/निजी सचिव, माननीय मंत्रिगण/राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिवगण
11. निजी सचिव, मुख्य सचिव
12. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग ।
13. मुख्य लेखाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर ।
14. नियंत्रक, स्टेट मोटर गैराज, जयपुर ।
15. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को विशेषांक में प्रकाशनार्थ ।


शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को पृथक से प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर ।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
3. रजिस्टार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर ।
4. निबंधक, राजस्व मण्डल/कर बोर्ड, अजमेर ।


शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक प0 11(12)मं.मं/2011

जयपुर, दिनांक 23.11.11

आज्ञा

श्री सत्यनारायण सिंह, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय डांग क्षेत्रीय विकास बोर्ड, जयपुर को राज्य मंत्री स्तर का दर्जा दिये जाने की राज्यपाल महोदय की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

श्री सत्यनारायण सिंह को राज्यमंत्री स्तर के रूप में इस सचिवालय की आज्ञा संख्या प011(1)मंमं/99 दिनांक 30.7.2010 के अनुसार सुविधायें प्रदत्त होंगी। यह सुविधायें श्री सिंह को कार्यग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए देय होंगी ।

अध्यक्ष, राज्य स्तरीय डांग क्षेत्रीय विकास बोर्ड, जयपुर को प्रदत्त सुविधाओं पर होने वाला समस्त व्यय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा वहन किया जायेगा ।

आज्ञा से,


(डॉ० आश्विनी जैन)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।



शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री ।
2. अध्यक्ष, राज्य स्तरीय डांग क्षेत्रीय विकास बोर्ड, जयपुर।
3. समस्त अति० मुख्य सचिव
4. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
5. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान ।
6. समस्त अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, निगम/बोर्ड
7. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर ।
8. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर।
9. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान ।
10. वि०सहायक/निजी सचिव, माननीय मंत्रिगण/राज्यमंत्रीगण/संसदीय चिवगण
11. निजी सचिव, मुख्य सचिव
12. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग।
13. मुख्य लेखाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर ।
14. नियंत्रक, स्टेट मोटर गैराज, जयपुर ।
15. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को विशेषांक में प्रकाशनार्थ ।



शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को पृथक से प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर ।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
3. रजिस्टार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर ।
4. निबंधक, राजस्व मण्डल/कर बोर्ड, अजमेर ।



शासन उप सचिव